

Q1 आयकर आयुक्त की पुनर्रक्षण शक्तियों पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए ।

Ans कमिश्नर द्वारा पुनरीक्षण (Revision by Commissioner) — आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कमिश्नर द्वारा पुनरीक्षण के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रावधान किये गए हैं—

(A) ऐसे आदेशों का पुनरीक्षण जो सरकारी राजस्व के लिये अहितकर हैं; तथा

(B) अन्य आदेशों का पुनरीक्षण ।

(A) ऐसे आदेशों का पुनरीक्षण जो सरकारी राजस्व के लिये अहितकर हैं (Revision of orders prejudicial to Government revenue) — इस सम्बन्ध में आयकर अधिनियम की धारा 263 में प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत की गई किसी भी कार्यवाही का अभिलेख कमिश्नर मँगा सकता है तथा उसकी जाँच कर सकता है तथा यदि वह समझता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किया गया कोई आदेश गलत या दोषपूर्ण है तथा सरकारी राजस्व के लिये अहितकर है, तो उचित जाँच पड़ताल करने के पश्चात् तथा करदता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुये वह मामले की परिस्थितियों के अनुसार उचित आदेश पारित कर सकता है, जिसमें कर निर्धारण में वृद्धि करना अथवा संशोधित करना अथवा रद्द करना अथवा नये कर निर्धारण का निर्देश देना भी सम्मिलित है।

स्पष्टीकरण :

(a) कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे (i) सहायक कमिश्नर अथवा डिप्टी कमिश्नर अथवा आयकर अधिकारी द्वारा संयुक्त कमिश्नर के निर्देशों के आधार पर दिया गया कर निर्धारण का आदेश (ii) कर निर्धारण अधिकारी के रूप में कार्य करते हुये संयुक्त कमिश्नर का आदेश;

(b) अभिलेख से आशय कमिश्नर द्वारा जाँच के समय इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी कार्यवाही का समस्त उपलब्ध अभिलेख (रिकॉर्ड) से है; (c) यदि कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की जा चुकी है, तो भी कमिश्नर पुनरीक्षण में उन बिन्दुओं पर विचार कर सकता है जिनके कि विरुद्ध या तो अपील नहीं की गई है या जिन पर अपील में निर्णय नहीं हुआ है।

कमिश्नर आदेश पारित होने वाले उस वित्तीय वर्ष के अन्त से जिसमें वह आदेश पारित किया गया था, दो वर्ष की अवधि के बाद पुनरीक्षण आदेश पारित नहीं कर सकता है। यदि पुनरीक्षण आदेश अपीलीय ट्रिब्यूनल, उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के आदेश अथवा निर्देश को दृष्टिगत रखते हुये

पारित किया गया है, तो यह अवधि सीमा लागू नहीं होगी तथा ऐसे पुनरीक्षण आदेश के विरुद्ध अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है।

(B) अन्य आदेशों का पुनरीक्षण (Revision of other orders) अन्य आदेशों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में धारा 264 में यह प्रावधान किया गया है कि उपरोक्त वर्णित आदेशों को छोड़कर, कमिश्नर अन्य ऐसे

आदेशों के सम्बन्ध में जो उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी ने पारित किये हों, स्वयमेव अथवा करदाता द्वारा पुनरीक्षण हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर इस अधिनियम के अन्तर्गत की गई ऐसी कार्यवाही का अभिलेख मंगा सकता है जिसमें ऐसा आदेश पारित किया गया था तथा इस सम्बन्ध में उचित जाँच पड़ताल के उपरान्त ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे, परन्तु ऐसा आदेश करदाता के अहित में नहीं होना चाहिए।

इस धारा के अन्तर्गत कमिश्नर स्वयमेव ऐसे आदेश का पुनरीक्षण नहीं कर सकता है जिसे • पारित हुये एक वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी हो। यदि इस धारा के अन्तर्गत कोई करदाता पुनरीक्षण हेतु प्रार्थना-पत्र देता है, तो उसे यह प्रार्थना-पत्र आदेश के प्राप्त होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत कर देना चाहिए। यदि कमिश्नर सन्तुष्ट हो जाता है, तो वह इस अवधि के बाद भी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सकता है। करदाता को पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र के साथ पाँच सौ रुपये फीस के भी देने होंगे।

परन्तु निम्नलिखित परिस्थितियों में कमिश्नर धारा 264 के अन्तर्गत किसी भी आदेश का पुनरीक्षण नहीं कर सकता है

(i) यदि उस आदेश के विरुद्ध कमिश्नर (अपील) के यहाँ अथवा अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील हो सकती है, परन्तु न तो करदाता ने अपील की है और न अपील करने का समय निकला है अथवा कमिश्नर (अपील) अथवा ट्रिब्यूनल में अपील करने के अधिकार को करदाता ने छोड़ा नहीं है; अथवा

(ii) यदि प्रश्नगत आदेश कमिश्नर (अपील) के यहाँ लम्बित है; अथवा (iii) यदि उस आदेश के विरुद्ध ट्रिब्यूनल में अपील कर दी गई है।

धारा 263 के अन्तर्गत किये गए पुनरीक्षण के फलस्वरूप कमिश्नर द्वारा पारित किये गए आदेश के विरुद्ध ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है, परन्तु अन्य किसी दशा में (अर्थात् धारा 264 के अन्तर्गत) कमिश्नर द्वारा पारित किया गया आदेश अन्तिम होता है।

यदि करदाता पुनरीक्षण के लिये प्रार्थना पत्र दिनांक 30-9-1998 के बाद देता है, तो कमिश्नर को अपना निर्णय प्रार्थना पत्र वाले वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष में दे देना चाहिये, परन्तु यदि पुनरीक्षण आदेश अपीलीय ट्रिब्यूनल, उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के आदेश अथवा निर्देश को ध्यान में रखते हुये पारित किया गया है, तो उपरोक्त वर्णित अवधि लागू नहीं होगी।

Q2 आयकर जमा करने के विभिन्न तरीके क्या है? "कर के अग्रिम भुगतान" की प्रक्रिया समझाए।

Ans - कर का अग्रिम भुगतान (Advance Payment of Tax) – आयकर अधिनियम का यह सामान्य नियम है कि आयकर गत वर्ष की आय पर चुकाया जाता है परन्तु उसका अपवाद भी है तथा आयकर अधिनियम के कुछ प्रावधानों के अन्तर्गत वर्तमान वर्ष (चालू वर्ष) की आय पर भी कर ला चुकाया जाता है, ऐसे भुगतान को 'कर का अग्रिम भुगतान' कहा जाता है। यद्यपि गत वर्ष की आय पर कर का भुगतान करने का दायित्व वर्तमान वर्ष के दौरान उत्पन्न होता है। आयकर अधिनियम की धारा 208 से 219 तक निर्धारित दर से ऐसी आय पर कर के भुगतान के सम्बन्ध में प्रावधान किये गए हैं, जो जैसे ही अर्जित होती है। कर के इस अग्रिम भुगतान की योजना को 'चुकाओ जैसे ही कमाओ' भी कहा जाता है।

आयकर अधिनियम की धारा 207 के अनुसार, प्रत्येक करदाता को किसी वित्तीय वर्ष में अपनी उस कुल आय पर अग्रिम कर का भुगतान करना होता है जिस पर इस वित्तीय वर्ष के ठीक बाद आने वाले कर निर्धारण वर्ष में कर लगेगा तथा इस आय को 'चालू आय' कहा जाता है।

आयकर अधिनियम की धारा 208 के अनुसार, प्रत्येक मामले में किसी वित्तीय वर्ष के दौरान अग्रिम कर देय होता है जब करदाता का कर दायित्व उस वर्ष में दस हजार रुपये या इससे अधिक है। दूसरे शब्दों में, यदि किसी करदाता की किसी वित्तीय वर्ष के दौरान कर दायित्व दस हजार रुपये से कम है, तो वह अग्रिम कर के भुगतान के लिए दायी नहीं है। आयकर अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक आय (जिसमें पूँजी लाभों, लॉटरी की जीत, वर्ग पहली प्रतियोगिता आदि की जीत से आय भी सम्मिलित है) पर अग्रिम कर का भुगतान किया जाता है। करदाता का कर दायित्व आयकर प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

अग्रिम कर की गणना (Computation of Advance Tax) – आयकर अधिनियम की धारा 209 के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष में किसी करदाता द्वारा देय अग्रिम कर की राशि की गणना निम्न प्रकार की जाती है

1. जब अग्रिम कर की गणना करदाता द्वारा स्वयं की जाती है, तो वह सबसे पहले अपनी अनुमानित आय की गणना करेगा तथा उस वित्तीय वर्ष में लागू दर से उस आय पर आयकर की गणना करेगा।
2. जब अग्रिम कर की गणना कर निर्धारण अधिकारी द्वारा की जाती है, तो यदि किसी करदाता पर नियमित कर निर्धारण पहले कभी हो चुका है तथा उसने अग्रिम कर का भुगतान नहीं किया है, तो वह सबसे अन्त में हुए कर निर्धारण में निर्धारित कुल आय अथवा यदि बाद के किसी वर्ष का करदाता ने आय का विवरण दाखिल कर दिया है, तो उसमें दिखाई गई कुल आय, जो दोनों में अधिक हो, के आधार पर उस वित्तीय वर्ष में अग्रिम कर की दरों से अग्रिम कर की गणना करेगा। कर निर्धारण अधिकारी अपने आदेश में करदाता को निर्देशित करेगा कि वह निर्धारित निश्चित तिथि तक अग्रिम कर की राशि का भुगतान कर दे।
3. जब अग्रिम कर की गणना कर निर्धारण अधिकारी द्वारा एक संशोधित आदेश पारित करने के प्रयोजनार्थ की जाती है, तो वह करदाता द्वारा बाद के गत वर्षों के सम्बन्ध में दाखिल किये गए विवरण में घोषित की गई कुल आय का ऐसी कुल आय जिसके सम्बन्ध में नियमित कर निर्धारण हो चुका है, जो भी दोनों में अधिक हो, के आधार पर उस वित्तीय वर्ष में लागू अग्रिम करों की दरों से कर की गणना करेगा।
4. उपरोक्त प्रकार से गणना की गई आयकर की राशि में से उद्गम स्थान पर काटी जाने वाली आयकर की राशि घटाकर जो राशि बचे वह अग्रिम कर की देय राशि होगी बशर्ते कि उद्गम स्थान पर कर की कटौती होने वाली चालू आय अथवा कुल आय की गणना करने में सम्मिलित कर ली गई हो।
5. यदि संगत वर्ष के किसी वित्तीय अधिनियम के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है कि अग्रिम कर के प्रयोजनार्थ चालू आय की गणना करने में शुद्ध कृषि आय भी सम्मिलित की जायेगी तो अग्रिम कर दायित्व की गणना करने में शुद्ध कृषि आय पर भी विचार किया जायेगा।
6. किसी हिन्दू अविभाजित परिवार, जिसके कम से कम एक सदस्य की गत वर्ष की कुल आय कर लगने वाली राशि से अधिक है, के अग्रिम कर दायित्व की गणना पृथक् विशिष्ट दर से या उस संगत वर्ष में

उस विशिष्ट हिन्दू अविभाजित परिवार को होने लागू वाली दर से की जायेगी। अग्रिम कर दायित्व की गणना निम्नलिखित में से उस आय पर की जायेगी, जोकि दोनों में अधिक हो

(a) सबसे अन्त के वर्ष की कुल आय जिस पर कि करदाता का नियमित कर निर्धारण हो चुका है; या (b) आने वाले वर्षों के लिए करदाता द्वारा दाखिल किये गए किसी आय के विवरण की कुल आय। **अग्रिम कर का भुगतान (Payment of Advance Tax) –** अग्रिम कर का भुगतान निम्न लिखित दो दशाओं में किया जाता है-

1. करदाता द्वारा अपने अनुमान के आधार पर स्वेच्छा से अग्रिम कर का भुगतान; तथा
2. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में अग्रिम कर का भुगतान ।

(1) करदाता द्वारा अपने अनुमान के आधार पर अग्रिम कर का भुगतान (Payment of Advance Tax by the assessee on his own accord)– प्रत्येक ऐसा करदाता जिसकी किसी वित्तीय वर्ष के दौरान आयकर दायित्व दस हजार रुपये या उससे अधिक है, वह अपने अनुमान के आधार पर अग्रिम कर का भुगतान करने का दायी होगा। इस सम्बन्ध में आयकर अधिनियम की धारा 210 के निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे-

(i) आयकर अधिनियम की धारा 210 (1) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो अग्रिम कर का भुगतान करने हेतु दायी है, चाहे उस पर पहले कभी कर का निर्धारण हुआ हो अथवा नहीं, अपनी चालू आय की गणना के आधार पर अपने अनुमान से देय तिथियों तक या उससे पूर्व अग्रिम कर का भुगतान करेगा। कर की गणना उस वर्ष के लिए निर्धारित की गई दर या दरों पर की जायेगी।

(ii) आयकर अधिनियम की धारा 210(2) के अनुसार यदि एक व्यक्ति जो अग्रिम कर का भुगतान किशतों में करता है, अपने अनुमान के आधार पर अपने चालू वर्ष की आय पर अग्रिम कर के भुगतान की राशि में वृद्धि या कमी कर सकता है। यदि वह अग्रिम कर की एक बड़ी राशि का भुगतान उस अनुमान के आधार पर कर देता है कि उसकी आय अधिक होगी तो वह शेष किशत या किशतों की राशि को अपने अनुमान के अनुसार कम कर सकता है। इसी प्रकार यदि वह अग्रिम कर की राशि का भुगतान इस अनुमान के आधार पर करता है कि उसकी आय कम होगी तो वह शेष किशत या किशतों की राशि में वृद्धि कर सकता है।

(2) कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में अग्रिम कर का भुगतान (Payment of advance tax in pursuance of order of Assessing Officer) – यदि अग्रिम कर के भुगतान के लिए दायी व्यक्ति किसी भी अग्रिम कर का भुगतान नहीं करता है, तो कर निर्धारण अधिकारी लिखित रूप में

करदाता को निर्देशित करेगा कि वह ऐसा भुगतान कर दे। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे

(i) आयकर अधिनियम की धारा 210 (3) के अनुसार, ऐसे व्यक्ति की दशा में जिस पर किसी गतवर्ष की कुल आय पर कर निर्धारण हो चुका है, परन्तु उसने धारा 210 (1) के अन्तर्गत अग्रिम कर का भुगतान नहीं किया है तथा कर निर्धारण अधिकारी यदि यह समझता है कि वह अग्रिम कर भुगतान करने का दायी है, तो वह उस वित्तीय वर्ष में किसी भी समय, परन्तु फरवरी के अन्तिम दिन के बाद नहीं, आदेश दे सकता है कि वह धारा 209 के अनुसार, गणना किये गए अग्रिम कर की राशि का भुगतान करे। कर-निर्धारण अधिकारी उस व्यक्ति को माँग का नोटिस देगा जिसमें कर का भुगतान करने की किश्तों का भी उल्लेख होगा।

(ii) आयकर अधिनियम की धारा 210 (4) के अनुसार यदि धारा 210 (3) के अन्तर्गत कर- निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश दिये जाने के उपरान्त परन्तु मार्च की पहली तारीख से पूर्व करदाता उस गत वर्ष से बाद के गत वर्ष का अपनी आय का विवरण दाखिल कर देता है, अथवा उस गत वर्ष के बाद के गत वर्ष का कर निर्धारण हो जाता है जिस गत वर्ष की कुल आय के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 210(3) के अन्तर्गत आदेश दिया था, तो कर निर्धारण अधिकारी अपना संशोधित आदेश पारित कर सकता है जिसमें अग्रिम कर की शेष किश्तों की राशि में संशोधन कर दिया जायेगा। कर निर्धारण अधिकारी ऐसे करदाता को माँग का नोटिस जारी करेगा जिसमें उससे नियनों के अनुसार अग्रिम कर की गणना की गई राशि की किश्त या किश्तों का भुगतान करने की अपेक्षा की जायेगी। अग्रिम कर की गणना करदाता द्वारा दाखिल किये गए आय के विवरण में घोषित आय या किसी गत वर्ष में कर निर्धारित की गई कुल आय, जो भी दोनों में अधिक हो, पर की जायेगी।

(iii) आयकर अधिनियम की धारा 210 (5) के अनुसार यदि वह व्यक्ति, जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 210(3) अथवा धारा 210 (4) के अन्तर्गत आदेश दिया है, यह समझता है कि उसके अनुमान के अनुसार चालू आय पर देय अग्रिम कर की राशि आदेश में दी गई अग्रिम कर की राशि से कम होगी, तो इसकी सूचना कर निर्धारण अधिकारी को भेज सकता है तथा अपने अनुमान के अनुसार अग्रिम कर का भुगतान करेगा ।

(iv) आयकर अधिनियम की धारा 210 (6) के अनुसार यदि वह व्यक्ति जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 210(3) अथवा धारा 210(4) के अन्तर्गत आदेश दे दिया है, यह समझता है कि उसके अनुमान के अनुसार चालू आय पर देय अग्रिम कर की राशि आदेश में दी गई अग्रिम कर की राशि से अधिक होगी

अथवा धारा 210 (5) के अन्तर्गत करदाता द्वारा सूचित किये गए अग्रिम कर की राशि से अधिक होगी, तो वह अन्तिम किश्त की देय तिथि तक, अपने अनुमान के अनुसार जितनी अग्रिम कर की अधिक राशि हो, का भुगतान कर देगा।

Q3 एक करदाता कर के भुगतान में चूक करता है। आयकर अधिकारी उससे कर वसूलने के लिए कौन-कौन से कदम उठाने के लिए अधिकृत है?

Ans करदाता को चूक में माना जाना (Assessee in default) — आयकर अधिनियम की धारा 218 के अनुसार, यदि करदाता देय तिथि तक—

(i) कर निर्धारण अधिकारी के आदेशानुसार अग्रिम कर की किसी किश्त का भुगतान नहीं कर पाता है; अथवा

(ii) कर निर्धारण अधिकारी को यह सूचना नहीं देता है कि उसके स्वयं के अनुमान के अनुसार उसकी चालू आय पर अग्रिम कर की राशि का जो भुगतान उसे करना है वह कर- निर्धारण अधिकारी के आदेश में उल्लिखित राशि से कम होगी अथवा अपने अनुमान के अनुसार अपनी चालू आय पर अग्रिम कर की राशि का भुगतान नहीं करता है, तो वह इस प्रकार भुगतान न की गई किश्तों के लिए चूक में माना जायेगा।

अग्रिम कर का भुगतान करने में चूक करने पर ब्याज (Interest for default in payment of advance tax)

— अग्रिम कर का भुगतान करने में चूक करने पर ब्याज के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम की धारा 234-B के अन्तर्गत निम्नलिखित उपबन्ध किये गए हैं—

(1) (i) **ब्याज के लिए दायित्व (Liability for interest)**— जब कोई करदाता धारा 208 के अन्तर्गत अग्रिम कर का भुगतान करने का दायी है, परन्तु वह इसका भुगतान नहीं करता है; अथवा जबकि धारा 210 के अन्तर्गत भुगतान किया गया अग्रिम कर निर्धारित कर के 90 प्रतिशत से कम है, तो उस पर ब्याज लगेगा।

(ii) **ब्याज की दर (Rate of interest)** ब्याज की दर 2 प्रतिशत (1-6-1999 से 1.5 प्रतिशत) प्रति माह होगी।

(iii) **ब्याज की अवधि (Period of interest)** – यह ब्याज अगले वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल से आयकर अधिनियम की धारा 143 (1) के अन्तर्गत आय निर्धारित होने की तिथि तक अथवा नियमित कर निर्धारित होने की तिथि तक की अवधि के लिए लगेगा।

(iv) **ब्याज किस राशि पर लगेगा (Interest on which amount)** – यह ब्याज निर्धारित कर की राशि पर अथवा उस राशि पर लगेगा जितनी अग्रिम कर की भुगतान की गई राशि निर्धारित कर की राशि से कम पड़ती हो, जैसी भी स्थिति हो।

इस धारा में निर्धारित कर (Assessed tax) से आशय उस कर से है जो करदाता के स्वयं के कर-निर्धारण अथवा नियमित कर निर्धारण में निर्धारित कुल आय पर देय है तथा जिसमें से निम्नलिखित को घटा दिया गया है-

(क) उद्गम स्थान पर काटा गया अथवा संग्रह किया गया कर;

(ख) भारत के बाहर किसी देश में चुकाये गए कर के सम्बन्ध में धारा 90 के अन्तर्गत प्रदत्त राहत; (ग) भारत के बाहर किसी विशिष्ट क्षेत्र में चुकाये गए कर के सम्बन्ध में धारा 90 के अन्तर्गत प्रदत्त राहत;

(घ) भारत के बाहर चुकाये गए किसी कर के सम्बन्ध में धारा 91 के अन्तर्गत स्वीकृत भारतीय आय कर में से कोई कटौती;

(ङ) धारा 115JAA एवं धारा 115JD के प्रावधानों के अनुसार पूरित किये जाने वाली कर जमा।

(2) **ब्याज की गणना (Calculation of interest)** – यदि आयकर अधिनियम की धारा 143 (1) के अन्तर्गत आय के निर्धारण से पूर्व अथवा नियमित कर निर्धारण होने से पूर्व करदाता धारा 140-A के अन्तर्गत स्वयं कर निर्धारण के आधार पर कर का भुगतान कर देता है, तो ब्याज की गणना निम्नानुसार की जायेगी

(a) उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार ब्याज 1 अप्रैल से उस दिन तक का लगेगा जिस दिन कि उपरोक्त कर की राशि का भुगतान हुआ है तथा यदि स्वयं के कर निर्धारण के आधार पर भुगतान किये गए कर के साथ किसी ब्याज का भी भुगतान किया गया है, तो उसे घटा दिया जायेगा।

(b) इसके बाद स्वयं कर निर्धारण के आधार पर भुगतान किये गए कर की राशि तथा अग्रिम चुकाये गए कर की राशि का योग करके यह योग, निर्धारित कर की राशि से जितना कम होगा, उस कमी पर ब्याज की गणना की जायेगी।

(3) **बढ़ी हुई राशि पर ब्याज (Income on increased amount)** – यदि आयकर अधिनियम की धारा 147 के अन्तर्गत पुनः कर निर्धारण या पुनः गणना के आदेश के फलस्वरूप कर की राशि में वृद्धि हो जाती है, तो धारा 143(1) के अन्तर्गत कुल आय के निर्धारण की तिथि अथवा नियमित कर निर्धारण की तिथि से पुनः कर निर्धारण होने तक की तिथि तक की अवधि का ब्याज लगाया जायेगा। यह ब्याज पुनः कर निर्धारण पर गणना की गई कुल आय पर कर की राशि के नियमित कर निर्धारण पर गणना की गई कुल आय पर कर की राशि से आधिक्य पर लगेगा।

4) **कर में वृद्धि या कमी (Enhancement or reduction in tax)** – यदि कर की राशि में पुनरीक्षण, अपील, भूल-सुधार या निपटारा कमीशन के फलस्वरूप कर की उस राशि में वृद्धि या कमी हो जाती है जिस पर कि व्याज देय है, तो देय व्याज की राशि में भी तदनुसार वृद्धि या कमी हो जायेगी। यदि व्याज की राशि में वृद्धि होती है, तो कर निर्धारण अधिकारी बढ़ी हुई राशि के सम्बन्ध में माँग का नोटिस जारी करेगा तथा यदि व्याज की राशि में कमी हो जाती है, तो भुगतान की गयी आधिक्य की धनराशि के सम्बन्ध में उसके वापिस किये जाने का आदेश पारित करेगा।

अग्रिम कर के विलम्बन पर व्याज (Interest on deferment of advance tax) - इस सम्बन्ध में आयकर अधिनियम की धारा 234-C में निम्नलिखित प्रावधान किये गए हैं

(1) **कम्पनी की दशा में (In case of a company)** - यदि एक कम्पनी द्वारा विवरण में दिखायी गई आय पर देय अग्रिम कर की राशि के 15 प्रतिशत के बराबर राशि 15 जून तक भुगतान की जाती है; अथवा 15 सितम्बर तक विवरण में दिखायी गई आय पर देय अग्रिम कर की राशि के 45 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाता है; अथवा 15 दिसम्बर तक विवरण में दिखाई गई आय पर देय अग्रिम कर की राशि के 75 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाता है, तो प्रत्येक किश्त पर कम भुगतान की गई राशि पर तीन माह का एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से कम्पनी को साधारण ब्याज का भुगतान करना होगा। यदि कम्पनी द्वारा 15 जून तक देय अग्रिम कर का 12 प्रतिशत भुगतान कर दिया जाता है; अथवा यदि 15 सितम्बर तक विवरण में दिखाई गयी आय पर देय अग्रिम कर की राशि का 36 प्रतिशत भुगतान कर दिया जाता है, तो कम्पनी पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।

(2) **कम्पनियों को छोड़कर, अन्य सभी प्रकार के करदाताओं की दशा में (In case of all other assesseees other than companies)** - यदि कम्पनी के अतिरिक्त अन्य कोई करदाता किसी वित्तीय वर्ष में अपने

आय के विवरण में दिखायी गई, आय पर देय कर के 30 प्रतिशत से कम राशि अग्रिम कर के रूप में 15 सितम्बर तक सरकारी कोष में जमा करता है; अथवा विवरण में दिखाई गई आय पर देय कर के 60 प्रतिशत (प्रथम किश्त सहित) से कम राशि अग्रिम कर के रूप में 15 दिसम्बर तक सरकारी कोष में जमा करता है, तो करदाता को उपरोक्त 30 प्रतिशत अथवा 60 प्रतिशत से जो कम राशि जमा की हो उस राशि पर एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज तीन माह की अवधि के लिए देना होगा।

(3) यदि कम्पनी अथवा अन्य किसी करदाता द्वारा अपनी चालू आय पर 15 मार्च तक भुगतान किया गया अग्रिम कर विवरण में दिखायी गई आय पर देय कर से कम हो, तो करदाता को देयकर कर में से कम चुकाये गए कर की राशि पर एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज देना होगा।

परन्तु निम्नलिखित दशा में अग्रिम कर की राशि निर्धारित प्रतिशत से कम जमा करने पर कोई ब्याज नहीं लगाया जायेगा।

यदि ऐसी कमी पूँजी लाभ, लॉटरी, वर्ग पहली प्रतियोगिता, दौड़ (घुड़दौड़ सहित), ताश का खेल, जुआ, शर्त आदि की आय का कम अनुमान लगाने अथवा कोई अनुमान न लगाने के कारण हुई हो तथा करदाता ने वर्णित आय के सम्बन्ध में देयकर की राशि शेष किश्तों में सरकारी कोष में जमा कर दी है अथवा यदि कोई किश्त देय नहीं है, तो वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक जमा कर दी है।